संख्या–बीमा–889/दस–87–56–1984

प्रेषक,

श्री नवीन चन्द्र बाजपेई,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 8 मई, 1987

विषय––"उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीबोलेण्ट फण्ड" की प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर आने जाने तथा यात्रा भत्ता का भुगतान।

महोदय,

(बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या बीमा–3291/दस–56–1984, दिनांक 29 नवम्बर, 1984 में गठित उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीबोलेण्ट फण्ड की प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु राज्य कर्मचारी सेवा संघो के आने वाले प्रतिनिधियों को वित्तीय नियमावली खण्ड–2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 193 के अन्तर्गत ड्यूटी पर जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2––राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि सम्बन्धित प्रतिनिधियों को जो उस स्टेशन के स्थानीय निवासी नहीं हैं जहां उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीबोलेण्ट फण्ड की प्रबन्ध समिति की बैठक होती है, को उक्त समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु उनकी तैनाती के स्थान से बैठकों के स्थान तक जाने तथा वापस आने के लिये वित्तीय नियमावली खण्ड–3 के नियमानुसार साधारण दर पर दौरे की भांति अपने पैतृक विभागों से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा परन्तु दैनिक भत्ता केवल बैठकों की तिथियों के लिये अनुमन्य होगा।

भवदीय,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
विशेष सचिव।

संख्या बीमा–889 (1)/दस–87–56, 1984, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:––

1––महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद;
2––शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव;
3––वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12/वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/वित्त (सामान्य) अनुभाग–4;
4––सचिवालय के समस्त अनुभाग;
5––विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय,
6––श्री राज्यपाल का सचिवालय तथा
7––संयुक्त निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से

ज्ञानेन्द्र नारायण,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0––ए0पी0 116 सा0 वित्त––15-10-87-(2691)––1987––10,000 (प्रो0)।